PDF Compressor Free Version

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, कोटा

क्रमांक :– अ.अ./जसख/कोटा/ईआर.सी.पी./2020/552–560

दिनांक :– 20/02/20

श्रीमान् जिला कलक्टर,
कोटा

विषयः– Eastern Rajasthan Canal Project (E.R.C.P.) के अन्तर्गत कालीसिन्ध नदी पर निर्माणाधीन नौनेरा बेराज के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटन करने बाबत्।

प्रसंग :– (1) श्रीमान उपवन संरक्षक, कोआ के पत्रांक : एफ () उपसं/तक./2020/1462–71 दिनांक 14.02.2020 के क्रम में।

(2) इस कार्यालय के पत्रांक 3581–3586 दिनांक 27.11.2019, पत्रांक 1776–77 11.06.2019 एवं पत्रांक 4065–69 दिनांक 03.10.2018 के क्रम में।

(3) आपके प. क्रमांक प.() राजस्व–III/2018/7800 दिनांक 15.10.2018, पत्रांक प. () राजस्व–III/2018/240–41 दिनांक 22.01.2019 के क्रम में।

(4) श्रीमान् उपखण्ड अधिकरी कनवास के पत्रांक /राजस्व/2019/1468 दिनांक 21.06.2019 एवं श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सांगोद के पत्रांक भू.अ./2019/2264 दिनांक 18.07.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान पूर्वी नहरी परियोजना (E.R.C.P.) के अंतर्गत कालीसिन्ध नदी निर्माणाधीन नौनेरा बैराज के डूब क्षैत्र एवं निर्माण कार्य में आ रही वनभूमि के प्रत्यावर्तन की कार्यवाही हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव (संख्या FR/RJ/Irrig./35905/2018) वन विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

जिस हेतु कोटा जिले की प्रस्तावित वन भूमि (586.346 है0) के समतुल्य राजस्व भूमि कनवास तहसील के ग्राम चकधुलेट, हरीपुरा, डोलिया, दांता, ढोटी, नालोदी तथा सांगोद तहसील के बरा ग्राम की राजस्व भूमि को वन विभाग हेतु आरक्षित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 4065–69 दिनांक 03.10.2018 द्वारा श्रीमान् से निवेदन किया गया था।

श्रीमान् जिला कलेक्टर कोटा के निर्देशानुसार श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी कनवास के पत्रांक / 2019/1168 दिनांक 21.06.2019 द्वारा ग्राम चक धुलेट, दांता, नालोदी, ढोटी, हरिपुरा, दडिया की कुल राजस्व भूमि 850.33 है0 के प्रस्ताव तथा श्रीमान उप खण्ड अधिकारी सांगोद के पत्रांक/2264 दिनांक 18.07.2019 द्वारा ग्राम बरां की राजस्व भूमि 240.75 है0 के प्रस्ताव श्रीमान् को प्रस्तुत किये गये थे।

चूंकि उक्त भूमि वन विभाग को हस्तानान्तरित की जानी है। अतः प्रस्तावों पर वन विभाग से पत्रांक 2845 दिनांक 18.09.2019 द्वारा राजस्व भूमि की उपयोगिता/सहमति पत्र हेतु लिखा गया था जिस हेतु श्रीमान् उपवन संरक्षक कोटा के पत्रांक एफ () उवसं/सर्वे/2019–20/10725 दिनांक 23.10.2019 द्वारा ग्राम चक धुलेट, हरिपुरा, दडिया, दांता, ढोटी, नालोदी की राजस्व भूमि वन विभाग के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई। अतः श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी कनवास के पत्रांक 2019/1168 दिनांक 21.06.2019 के प्रस्ताव को निरस्त करने का कष्ट करें।

Eastern Rajasthan Canal Project (E.R.C.P.) के अन्तर्गत पूर्व में विभाग द्वारा कोटा जिले की 585.41 हेतु भूमि चिन्हित कि गई थी। परन्तु वन विभाग के पत्रांक एफ (उवसं/तक/2019–20/7580 दिनांक 09.08.2019 द्वारा सुल्तानपुर वन क्षेत्र में 315.483 है0 तथा इटावा वन क्षेत्र में 265.455 है0 कुल 580.938 है0 कोटा जिले की वन भूमि पाई गई। अतः वर्तमान मे परियोजना के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु कोटा जिले की कुल वन भूमि 580.938 है0 के समतुल्य (राजस्व) भूमि वन विभाग को दी जानी है जिस हेतु पत्रांक 3581–3586 दिनांक 27.11.2019 द्वारा श्रीमान् से समतुल्य राजस्व भूमि आरक्षित करने के लिए निवेदन किया गया था तथा उपवन संरक्षक कोटा से उक्त भूमि पर सहमति देने का निवेदन भी किया गया था।

श्रीमान् जिला कलेक्टर कोटा के पत्रांक प. ( ) राजस्व/2020/376–382 दिनांक 07.02.2020 की अनुपालना में दिनांक 12.02.2020 को श्रीमान् की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसके उपरान्त श्रीमान् उपवन संरक्षक कोटा के पत्रांक एफ ( ) उपसं/तक./2020/1462–71 दिनांक 14.02.2020 द्वारा लाडपुरा तहसील के ग्राम गोपालपुरा, सिंहपुरा, भीलोद एवं तहसील सांगोद के ग्राम गुरायता, विजयपुर, बोरीनाखुर्द तथा ग्राम बरां की भूमि की निम्नानुसार अस्थाई अतिक्रमण हटाकर अनापत्ति दी गई है :–

PDF Compressor Free Version

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खाता सं०	खसरा संख्या	रकबा (है०)
1	लाड़पुरा	गोपालपुरा	01	443	5.94
				450	4.00
				452	14.30
				460	3.00
				514	38.98
				517	13.24
				518	1.20
				519	4.05
				522	28.52
				कुल	**113.23**
2		सिंहपुरा	01	350	18.50
				351	35.00
				355	35.79
				356	5.93
				कुल	**95.00**
3		भीलोत	01	159	4.00
				162	10.09
				कुल	**14.09**
4	सांगोद	गुरायता	01	8	6.05
				17	14.96
				33	2.48
				47	6.46
				52	0.810
				53	1.46
				84	1.62
				103	0.49
				104	0.48
				105	0.65
				108	0.81
				112	0.82
				113	1.30
				117	1.40
				130	4.44
				131	1.17
				132	1.13
				133	1.88
				134	3.16
				171	1.60
				175	2.07
				176	1.80
				177	1.27
				187	0.73
				190	3.97

PDF Compressor Free Version

				191	1.02
				210	0.77
				211	2.21
				212	2.46
				213	0.15
				214	1.39
				215	0.80
				264	4.29
				323	1.450
				322	0.25
				324	0.44
				325	1.43
				326	4.72
				327	1.65
				328	1.14
				359	0.85
				360	1.80
				361	0.93
				357	5.87
				365	1.85
				366	1.33
				475	5.25
				473	1.10
				314	4.91
				कुल	**111.07**
5		विजयपुर	01	37	13.480
				336	9.96
				337	8.69
				341	9.65
				343	9.71
				344	3.24
				339	29.70
				280	7.03
				कुल	**91.46**
6		बोरीनाखुर्द	01	3/1	38.50
				220	10.70
				390	42.59
				कुल	**91.79**
7		चरा	01	10	1.75
				11	4.70
				12	0.77
				13	6.73
				15	7.26
				16	6.23
				9	6.41
				6	2.17

PDF Compressor Free Version

				5	5.25
				7	6.23
				283	2.25
				284	0.50
				295	0.67
				296	8.50
				462	3.06
				297/524	0.40
				322	9.24
				कुल	**72.12**

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी/तहसीदार सांगोद तथा लाड़पुरा को उक्त राजकीय भूमि में से **580.938** है0 समतुल्य राजस्व भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु भूमि अवंटन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान करने की कृपा करे ताकि पूर्वी नहर सिंचाई परियोजना (ई.आर.सी. पी.) के अन्तर्गत निमार्णाधीन नौनेरा बैराज परियोजना में आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कराकर राजकार्य को गति प्रदान की जा सकें।

संलग्न :– उरोक्तानुसार पत्राचार एवं डूब क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आ रहे कोटा जिले के खसरों की ग्रामवार सूची।

भवदीय

(डी.के. अग्निहोत्री)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड कोटा
दिनांक :– 20/02/2020

क्रमांक :– अ.अ./जसख/कोटा/ईआर.सी.पी./2020/552-560

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत, कोटा।
3. श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
4. श्रीमान उपवन संरक्षक, कोटा।
5. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, सांगोद/लाड़पुरा।
6. श्रीमान तहसीलदार, सांगोद/लाड़पुरा।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड कोटा